महत्वपूर्ण उपलब्धियां-2015

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को कार्यान्वित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 11 से बढ़कर 25 हो गई है।
- वर्ष 2015 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में प्रमुख सुधार।
- राशन कार्डों का डिजिटीकरण 34 राज्यों में पूरा किया गया।
- ऑनलाईन खाद्यान्न आवंटन 19 राज्यों में शुरू किया गया।
- धान की खरीद हेतु अधिकाधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ दिलाने के लिए खरीद नीति में संशोधन किया गया।
- सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप किसानों को देय गन्ना बकाया 21,000 करोड़ रुपए से घटकर 3476 करोड़ रुपए रह गया है।
- गुणवत्ता युक्त उत्पादों और सेवाओं के संवर्धन एवं उपभोक्ता संरक्षण हेतु नए प्रावधान।
- भंडारण क्षमता को उन्नत बनाने और आधुनिकीकरण करने के लिए नई पहल शुरू की गई।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो 2013 में अधिनियमित किया गया था, केवल **11** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2015 के अंत तक इस अधिनियम को कार्यान्वित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है।

सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी तथा लीकेज-मुक्त बनाकर इसके सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया है। वर्ष 2015 के दौरान राशन कार्डों का डिजिटीकरण 34 राज्यों में पूरा कर लिया गया है, जबकि वर्ष की शुरुआत में इसे केवल 19 राज्यों में किया गया था; खाद्यान्नों के ऑनलाईन आवंटन वाले राज्यों की संख्या इस वर्ष के दौरान 9 से बढ़कर 19 हो गई और ऑनलाईन शिकायत निवारण 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है। लाभभोगियों को खाद्य सब्सिडी का नकद अंतरण चंडीगढ़ और पुद्दुचेरी में सितम्बर, 2015 में शुरू किया गया।

भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन से संबंधित उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की सिफ़ारिशों के आधार पर अधिकाधिक किसानों को एमएसपी प्रचालनों के दायरे में लाने के लिए धान की खरीद संबंधी नीति में संशोधन किया गया। चावल पर मिलों की लेवी समाप्त की गई। सरकार ने वर्ष के दौरान अभूतपूर्व वर्षा और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को उनकी फसलों के लिए खरीद संबंधी मानदंडों में छूट देकर उन्हे राहत भी प्रदान की।

किसानों को देय गन्ना बकाया के भुगतान को सुगम बनाने हेतु किए गए निरंतर प्रयासों के कारण गन्ना बकाया की राशि, जो चीनी मौसम 2014-15 के दौरान सर्वाधिक अर्थात 21,000 करोड़ रुपए थी, घटकर दिसम्बर, 2015 के दौरान 3476 करोड़ रुपए रह गई।
अन्य पहलों से संबंधित मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:-

खाद्यान्न प्रबंधन में सुधार

- भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पुनर्गठन के बारे में सिफ़ारिशें करने के लिए श्री शांता कुमार, संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। की गई सिफ़ारिशों के आधार पर भारतीय खाद्य निगम के कार्यचालन में सुधार करने और इसके प्रचालनों में किफायत लाने के लिए अनेक उपाय शुरू किए गए हैं।

- भारतीय खाद्य निगम के सभी गोदामों के प्रचालन ऑनलाईन बनाने और लीकेज रोकने के लिए "डिपो ऑनलाईन" प्रणाली की शुरुआत की गई और सभी संवेदनशील डिपुओं में एकीकृत सुरक्षा प्रणाली स्थापित की जा रही है।

- भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत केन्द्रीय पूल के स्टॉक में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध हैं। दिनांक 01.12.2015 की स्थिति के अनुसार स्टॉक 368.26 लाख टन है, जिसमें 268.79 लाख टन गेहूं और 99.47 लाख टन चावल शामिल है।

- 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जो विकेन्द्रीकृत खरीद (डीसीपी) स्कीम के अंतर्गत हैं, के अलावा, चावल की खरीद के लिए तेलंगाना एक नया डीसीपी राज्य बन गया है और आंध्र प्रदेश एवं पंजाब ने भी खाद्यान्नों की खरीद और वितरण प्रचालनों में कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान इस प्रणाली को अपनाया है।

- भारत सरकार ने खुला बाजार बिक्री स्कीम (ओएमएसएस) के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के दौरान बिक्री हेतु लगभग 111 लाख टन गेहूं और 20 लाख टन ग्रेड-ए चावल अनुमोदित किया है, जिसमें से दिसम्बर, 2015 के अंत तक 36.87 लाख टन गेहूं और 0.57 लाख टन ग्रेड-ए चावल की बिक्री की गई।

- लमडिंग से बदरपुर तक गेज परिवर्तन के कारण रेल मार्ग में व्यवधान के बावजूद पूर्वोत्तर राज्यों में मल्टी-मोडल परिवहन का उपयोग करके खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति की गई। इस क्षेत्र में 20000 टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता के निर्माण के अलावा, प्रत्येक माह 80,000 टन खाद्यान्नों का संचलन किया गया। मेगा ब्लॉक के दौरान त्रिपुरा में बांग्लादेश के रास्ते नदी मार्ग से खाद्यान्न पहुंचाया गया।

- वर्ष 2014-15 के दौरान पहली बार नदी मार्ग/तटीय संचलन के माध्यम से 1,03,636 टन चावल आंध्र प्रदेश से केरल पहुंचाया गया।

- आंध्र प्रदेश में हुद हुद चक्रवात और जम्मू-कश्मीर में विनाशकारी बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखी गई।

- सरकार ने जनवरी, 2015 से बफर मानदंडों में संशोधन किया है और बफर मानदंड का नाम परिवर्तित करके "केन्द्रीय पूल हेतु खाद्यान्न स्टॉकिंग मानदंड" कर दिया है। सरकार ने खाद्यान्नों के स्टॉक के बेहतर प्रबंधन के लिए मानदंडों में संशोधन किया है।

- वर्ष 2015-16 के दौरान भंडारण हानियां और मार्गस्थ हानियां भंडारण गेहूं में लाभ के कारण घटकर (-)0.03% और 0.39% रह गई है, जबकि समझौता ज्ञापन में लक्ष्य क्रमश: 0.15% और 0.42% का था।

- मणिपुर की सीमा के समीप बाढ़ प्रभावित पॉकेट की मदद करने के लिए म्यांमार को 100 टन चावल भेजा गया था।

- खाद्यान्नों के केंद्रीय पूल स्टाक के लिए 796.08 लाख टन भंडारण क्षमता उपलब्ध है।

- निजी उद्यमी गारण्टी (पीईजी) योजना के अंतर्गत 20 राज्यों में 10 लाख टन, योजना स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 20,000 टन तथा केंद्रीय भंडारण निगम के माध्यम से 12 राज्यों में 1.78 लाख टन क्षमता के नए गोदाम शामिल किए गए हैं।

- भांडागारण क्षेत्र को सुव्यवस्थित बनाने के लिए भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) के लिए एक ट्रांसफार्मेशन योजना प्रारम्भ की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी का वातावरण प्लेटफार्म तैयार करने तथा नियमों तथा प्रक्रियाओं को पुन: निर्धारित करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

- गेहूं के बल्क भंडारण हेतु स्टील साइलो के निर्माण के लिए 3 स्थानों अर्थात व्हाइटफील्ड, कटिहार तथा कोटकपूरा में वाएबिलिटि गैप फंडिंग (वीजीएफ) के साथ सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के अंतर्गत प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित किए गए हैं। 3 अन्य स्थानों - नरेला, साहानेवाल तथा चांगसारी के लिए वीजीएफ हेतु अनुमोदन प्राप्त हुए हैं तथा आरएफपी शीघ्र ही आमंत्रित किए जाएंगे। इस प्रयास से भारतीय खाद्य निगम की क्षमता में 2.5 लाख टन की आधुनिक भंडारण क्षमता शामिल हो जाएगी।

- वर्ष 2015-16 के दौरान (04.01.2016 तक) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वितरित करने के लिए 610.0 लाख टन खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है।

- खाद्यान्नों की आपूर्ति बनाए रखने तथा आवश्यक जिन्सों मुख्यत: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की उपलब्धता तथा वितरण सुनिश्चित करने के लिए इस विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30.03.2015 को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 अधिसूचित किया है। यह आदेश दिनांक 31.08.2001 के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण)

आदेश का अधिक्रमण करता है तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुरूप है। यह आदेश भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि अर्थात् 20.03.2015 से प्रभावी है। यह आदेश अत्यधिक राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न आशयित लाभभोगियों तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सभी आवश्यक उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। तत्पश्चात् इस विभाग ने दिनांक 28.10.2015 के जीएसआर संख्या 814 (ई) के माध्यम से दिनांक 29.10.2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2 खण्ड-3, उप-खण्ड(1) में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2015 अधिसूचित किया है। इस संशोधन आदेश से दिनांक 20.03.2015 को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अंतर्गत नए अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है।

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरण की योजना स्कीम के घटक-1 का कार्यान्वयन प्रगति पर है। उचित दर दुकानों के स्वचालन संबंधी दिशा-निर्देश सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए हैं। जनवरी,2015 में प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण तथा मोबाइल टर्मिनलों को प्रमाणित करने के लिए एसटीक्यूसी (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अधीनस्थ निदेशालय) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

- सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। इनके परिणामस्वरूप दिसम्बर, 2015 के अंत तक 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों का डिजिटीकरण पूरा किया गया तथा 9.5 करोड़ से अधिक राशन कार्डों को आधार संख्या से जोड़ा गया, 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला पबंधन कार्यान्वित किया गया, 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों का ऑनलाईन आवंटन कार्यान्वित किया गया, प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण इंस्टॉल करते हुए 62,680 उचित दर दुकानों का स्वचालन किया गया, टीपीडीएस के सभी प्रचालनों को दर्शाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में टोल-फ्री हैल्पलाईन नंबर तथा शिकायत निवारण तंत्र कार्यान्वित किए गए हैं।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रभावी होने के पश्चात एक वर्ष समाप्त होने पर अर्थात जुलाई, 2015 तक 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस अधिनियम का कार्यान्वयन प्ररम्भ हो गया था। तब से 14 अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एनएफएसए का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया है तथा वर्तमान में इस अधिनियम को कार्यान्वित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या 25 है।

- लाभभोगियों को राजसहायता के नकद अंतरण की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने दिनांक 21.08.2015 को एनएफएसए के अंतर्गत 'राजसहायता के नकद अंतरण नियम, 2015' अधिसूचित किया है। इन नियमों में प्रावधान है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहमति से कार्यान्वित की

जाएगी। तदनुसार, लीकेज एवं अन्यत्र हस्तांतरण पर रोक लगाने को ध्यान में रखते हुए यह विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से खाद्यान्नों के बदले में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना अपनाने का अनुरोध कर रहा है, जिसके अंतर्गत राजसहायता के घटक लाभभोगियों के बैंक खाते में सीधे जमा किए जाएंगे और वे बाजार में कहीं से भी खाद्यान्न खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस मॉडल को अपनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लाभभोगियों के डाटा का सम्पूर्ण डिजिटीकरण तथा आधार एवं बैंक खाते का ब्यौरा देना पूर्वापेक्षित है। यह योजना सितम्बर, 2015 से चण्डीगढ़ तथा पुद्दुचेरी में प्रारम्भ की गई है।

- केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा खाद्यान्नों की हैंडलिंग और ढुलाई तथा डीलरों के मार्जिन पर व्यय की गई लागत का 50 प्रतिशत (पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों के मामले में 75 प्रतिशत) वहन करने का निर्णय भी लिया है जिससे इसका बोझ लाभभोगियों पर न पड़े तथा वे 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज, 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं तथा 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल प्राप्त कर सकें।

- विभिन्न मामलों पर समय-समय पर टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित करते हुए नागरिकों से संवाद स्थापित करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का 'फूड सिक्योरिटी' नामक ग्रुप @myGov portal अर्थात् www.myGov.in पर खोला गया था। फरवरी, 2015 के दौरान उक्त समूह 'फूड सिक्योरिटी' के अंतर्गत एक माह की अवधि के लिए एक डिस्कशन थ्रेड 'इंप्रूविंग द टीपीडीएस' उपलब्ध कराया गया था। उन्नत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वीकृत सुझावों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट भेजने तथा उन पर कार्रवाई करने अथवा की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में नागरिकों से प्राप्त सुझाव एवं टिप्पाणियों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ-साथ इस विभाग के भीतर भी परिचालित किया गया था।

किसानों को राहत

- बेमौसम वर्षा तथा ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने गेहूं की खरीद हेतु गुणवत्ता मानदण्डों को यथासंभव सीमा तक शिथिल किया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों/उसकी एजेंसियों को ऐसी छूट पर की गई मूल्य कटौती की राशि की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है ताकि किसानों को चमकविहीन गेहूं के सिकुड़े तथा टूटे हुए दानों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्राप्त हो सके। केंद्र सरकार द्वारा ऐसा किसान केंद्रित कदम पहली बार उठाया गया है।

- बेमौसम वर्षा एवं ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सरकारी एजेंसियों ने रबी विपणन मौसम 2015-16 के दौरान 280.88 लाख टन गेहूं की खरीद की है।

- भारतीय किसानों की सहायता करने के लिए सरकार ने दिनांक 19.10.2015 से गेहूं पर कस्टम आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया है।

- सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर खरीफ विपणन मौसम 2015-16 के दौरान आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की सहायता करने तथा उन्हें मजबूरी में बिक्री करने से बचाने के लिए धान तथा इससे प्राप्त चावल के खरीद मानदण्डों में भी छूट प्रदान की है।

- आयातित तेलों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट से घरेलू उत्पादित खाद्य तेलों के मूल्य प्रभावित हो रहे थे जिसके परिणामस्वरूप किसानों के हित भी प्रभावित हुए थे। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने खाद्य तेलों पर गतिशील सीमा के साथ आयात शुल्क में वृद्धि की सिफारिश की थी जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार, राजस्व विभाग ने दिनांक 17.09.2015 की अधिसूचना संख्या 46/2015-सीमा शुल्क के माध्यम से कच्चे तेलों पर आयात शुल्क मौजूदा 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया तथा रिफाइंड तेलों पर आयात शुल्क मौजूदा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है।

चावल पर मिल-मालिकों को प्रदान की जाने वाली लेवी समाप्त की गई

- दिनांक 01.10.2015 से मिल-मालिकों पर लगाई जाने वाली चावल की लेवी को समाप्त कर दिया गया है। इससे किसानों को शोषण से बचाया जा सकेगा तथा अब वे अपना धान बेचने के लिए मिल-मालिकों पर निर्भर नहीं रहेंगे। इस प्रयास से धान के बाजार मूल्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने की स्थिति में भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की डिलीवरी में सुधार हुआ है, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, जहां किसान अपने धान की बिक्री के लिए पूर्णत: मिल-मालिकों पर निर्भर हैं।

- खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2013-14 के दौरान राज्य एजेंसियों द्वारा अविभाजित आंध्र प्रदेश के किसानों से धान की केवल 8.82 लाख टन की सीधी खरीद की गई किन्तु खरीफ विपणन मौसम 2014-15 में आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना को मिलाकर धान की यह खरीद 36.76 लाख टन तक बढ़ गई। खरीफ विपणन मौसम 2014-15 में लेवी की कमी के परिणामस्वरूप अब तक खरीफ विपणन मौसम 2013-14 की तुलना में इन दो राज्यों में चावल की कुल खरीद में कोई विशेष कमी नहीं हुई है। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश में धान की खरीद पूर्ववर्ती मौसम में 9.07 लाख टन से बढ़कर वर्तमान मौसम में 18.18 लाख टन तक हो गई है तथा चावल की कुल खरीद पूर्ववर्ती मौसम में 11.05 लाख टन से बढ़कर अप्रैल, 2015 तक 16.10 लाख टन हो गई है। पश्चिम बंगाल में भी धान की खरीद पूर्ववर्ती मौसम में 5.79 लाख टन से बढ़कर वर्तमान मौसम में 13.29 लाख टन हो गई है तथा चावल की कुल खरीद 8.27 लाख टन से बढ़कर अप्रैल, 2015 तक 13.21 लाख टन हो गई है।

पूर्वोत्तर राज्यों में धान के किसानों के लिए बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य की पहुंच

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के दायरे में अधिक से अधिक किसानों को लाने तथा पूर्वोत्तर राज्यों में धान की खरीद के लिए खरीद में निजी पार्टियों को शामिल करने के संबंध

में इस वर्ष एक नीति तैयार की गई है। अब निजी फर्मों को असम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल जहां भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास मजबूत खरीद तंत्र नहीं है, जिससे प्राय: किसानों को मजबूरी में बिक्री करनी पड़ती है वहां समूह में किसानों से धान की खरीद की अनुमति प्रदान की गई है। निजी फर्में भारतीय खाद्य निगम अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एजेंसियों के गोदामों पर कस्टम मिल्ड चावल (सीएमआर) की सुपुर्दगी करेंगी।

चीनी क्षेत्र में सुधार और किसानों का गन्ना बकाया समाप्त करने के लिए उठाए गए कदम

- वर्तमान चीनी मौसम के दौरान चीनी उत्पादन चीनी की घरेलू आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होने का अनुमान है।

- चीनी मौसम 2014-15 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) से संबंधित किसानों के गन्ना मूल्य बकाया के भुगतान को सुगम बनाने के लिए चीनी उद्योग को 6000 करोड़ रुपए की राशि तक सरल ऋण उपलब्ध कराने संबंधी एक स्कीम दिनांक 23.6.2015 को अधिसूचित की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत 4152 करोड़ रूपए की राशि संवितरित की गई है। सरकार ने सरल ऋण के अंतर्गत पात्रता के लिए एक वर्ष की अवधि भी बढ़ा दी है और इस बढ़ी हुई अवधि के लिए 600 करोड़ रुपए तक ब्याज में छूट की लागत वहन करने का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप अधिक चीनी मिलें स्कीम के अंतर्गत दिया जाने वाला लाभ उठा सकेंगी जिससे बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिल सकेगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि किसानों को गन्ना बकाया का भुगतान करने के बाद शेष राशि, यदि कोई हो, चीनी कारखानों के खातों में जमा करा दी जाएगी। इससे लगभग 150 चीनी मिलों को लाभ मिलेगा जिन्होंने 90% से भी अधिक अपना गन्ना बकाया अधिक सक्रियता के साथ समाप्त कर दिया था। इससे किसानों के लिए गन्ना बकाया के समय पर भुगतान हेतु ब्रिज फाइनेंस की व्यवस्था करने के लिए मिलों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना सुनिश्चित हो सकेगा।

- किसानों को प्रत्यक्ष सब्सिडी के संबंध में सरकार ने चीनी मिलों को 2015-16 के चीनी मौसमों में 4.50 रुपए प्रति क्विंटल की उत्पादन लिंक्ड सब्सिडी का भुगतान करने का निर्णय लिया है जिससे चीनी मौसम 2015-16 के लिए गन्ने की लागत की भरपाई हो सकेगी और किसानों को गन्ना मूल्य बकाए का समय पर भुगतान हो सकेगा। इस संबंध में दिनांक 02.12.2015 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधियां किसानों के खातों में सीधे जमा करा दी जाएंगी।

- रॉ शुगर संबंधी निर्यात प्रोत्साहन को 3200 रुपए/टन से बढ़ाकर 4000 रुपए/टन कर दिया गया है। पिछले वर्ष के 7.5 लाख टन की तुलना में इस वर्ष 14 लाख टन रॉ शुगर के निर्यात को सहायता देने के लिए निधि आवंटित की गई है। सितम्बर, 2015 में सरकार ने वर्ष 2015-16 के दौरान चीनी मिलों और सहकारी समितियों के लिए चार मिलियन टन चीनी के अनिवार्य निर्यात हेतु कोटा की घोषणा भी की थी।

- सरकार ने आयात को निरुत्साहित करने के लिए चीनी पर आयात शुल्क को 25% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू बाजार में चीनी के लीकेज को रोकने के लिए अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत निर्यात बाध्यता अवधि को 18 माह से घटाकर 6 माह कर दिया है।

- इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम (ईबीपी) के अंतर्गत ब्लेंडिंग लक्ष्यों को 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। ईबीपी के अंतर्गत आपूर्तित ईथेनॉल के लिए लाभकारी मूल्य 48.50 - 49.50 प्रति लीटर के बीच निर्धारित किया गया है जो पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में भारी बढ़ोत्तरी है। इसके परिणामस्वरूप, ब्लेंडिंग के लिए इथेनॉल की आपूर्ति लगभग 32 करोड़ लीटर प्रति वर्ष से बढ़कर 103 करोड़ लीटर प्रति वर्ष हो गई है। ब्लेंडिंग कार्यक्रम के लिए ईथेनॉल आपूर्ति को अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अगले चीनी मौसम में ब्लेंडिंग के लिए आपूर्तित ईथेनॉल पर उत्पाद शुल्क हटा दिया गया है। इससे ईथेनॉल के मिल-द्वार मूल्य में और वृद्धि होगी तथा उद्योग में नकदी की स्थिति में सुधार होगा, जिससे गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान सुगम हो सकेगा।

- गन्ना बकाया समाप्त करने के लिए दी जाने वाली विभिन्न छूटों अर्थात् ब्याज छूट आधारित सरल ऋण, निर्यात प्रोत्साहन तथा उत्पादन सहायता हेतु और अधिक निधि जुटाने के लिए संसद में चीनी उपकर अधिनियम, 1982 में संशोधन प्रस्तुत किया गया था।

- किसानों को गन्ना बकाए के भुगतान को सुगम बनाने हेतु सतत् प्रयासों के कारण बकाया की राशि चीनी मौसम 2014-15 में 21,000 करोड़ रुपये से घटकर दिसम्बर, 2015 के अन्त तक 3476 करोड़ रुपये हो गई थी।

- सरकार ने चीनी मौसम 2014-15 के लिए रॉ शुगर उत्पादन की विपणन एवं संवर्धन सेवाओं पर वित्तीय लाभ 4,000 रुपये प्रति टन कर दिया है।

- चीनी मौसम 2015-16 में चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ना के लिए देय उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 230 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

- चीनी मिलों द्वारा सूचना प्रस्तुत करने के कार्य को सुगम बनाने के लिए एक वेब आधारित प्लेटफार्म शुरू किया गया है। उत्पादन, गन्ना मूल्य बकाया आदि से संबंधित ऑनलाईन आंकड़े राज्यों के लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं। इन्वेंट्री स्तर को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने चीनी मिलों द्वारा निर्यात किए जाने के लिए मिल-वार न्यूनतम संकेतात्मक निर्यात कोटा (एमआईईक्यू) अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 10% का ब्लेंडिंग स्तर प्राप्त करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को ईथेनॉल के उत्पादन एवं आपूर्ति के लिए ईथनॉल डिस्टिलेशन क्षमतावाली मिलों के आवंटन के लिए एक राष्ट्रीय ग्रिड तैयार की है।

अन्य उपलब्धियां

- भारतीय खाद्य निगम ने किसानों से बाजार मूल्य पर दलहन की खरीद शुरू की है और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए तिलहन हेतु खरीद योजना पर कार्य कर रहा है।

- गरीबों के लिए 'अन्य कल्याणकारी स्कीमों' के अंतर्गत बेहतर तरीके से लक्ष्य निर्धारण करने के लिए माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति गठित की गई थी। समिति ने न केवल अन्य कल्याणकारी स्कीमों के लिए खाद्यान्नों के आवंटन को जारी रखने बल्कि स्कीम के अंतर्गत दूध एवं अण्डे आदि मुहैया कराते हुए पौषणिक सहायता देने का निर्णय लिया था।

- केंद्रीय भंडारण निगम ने 1562 करोड़ रुपये का सर्वाधिक टर्नओवर प्राप्त किया है और सरकार को 20.21 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया है।